"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 371] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई 2014— आषाढ़ 24, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-7/2012/1-7. — दिनांक 28-29 जून, 2012 की रात्रि जिला बीजापुर के थाना बासागुड़ा के ग्राम सारकेगुड़ा और जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के ग्राम सिलगेर एवं चिमलीपेंटा में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ घटना की न्यायिक जांच के लिये इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-07-2012 द्वारा विशेष जांच आयोग का गठन किया गया है. आयोग को उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन निर्धारित समयावधि में जांच कार्य पूर्ण न होने के कारण विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-10-2012, दिनांक 21-01-2013, दिनांक 03-07-2013 तथा दिनांक 20-01-2014 द्वारा आयोग के कार्यकाल में समयवृद्धि की गई है, जो दिनांक 11-07-2014 को समाप्त हो रही है.

2. चूंकि, जांच आयोग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अतः राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 12-07-2014 से दिनांक 11-01-2015 तक 6 माह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.